

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 550]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 11, शक 1933

गृह (सी-अनुभाग) विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

क्र. एफ-35-84-2007-दो-सी-2.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 258 खण्ड (1) व राष्ट्रपति द्वारा केन्द्र सरकार को प्रदत्त प्रशासनिक कर्तव्यों के अनुसरण में केन्द्र सरकार के राजपत्र भाग-दो उप विभाग 3 (दो), दिनांक 11 मई, 1963 में प्रकाशित केन्द्र सरकार के आदेश का. आ. 1285, दिनांक 4 मई 1963 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मध्यप्रदेश शासन, शासकीय गुप्त अधिनियम, 1923 (1923 का 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) व (घ) के अंतर्गत केन्द्र सरकार के अधिकारों का उपयोग करते हुए एतद्वारा, अनुसूची में वर्णित स्थानों को उक्त अधिनियम के कालम 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करता है :—

#### अनुसूची

क्र. (1)	स्थान (2)	पता (3)	प्रतिबंधित क्षेत्र की चतुर्सीमा (4)
1	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लिमिटेड, ग्राम रायरू, पो. बरौआ, जिला ग्वालियर (म.प्र.).	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लिमिटेड, ग्राम रायरू, पो. बरौआ, जिला ग्वालियर (म.प्र.)	<b>पूर्व</b> —उ.म. रेलवे का दिल्ली मुंबई रेल मार्ग तथा ग्राम बरौआ नूराबाद की कृषि भूमि. <b>पश्चिम</b> —ग्राम बरौआ नूराबाद की कृषि भूमि. <b>उत्तर</b> —ग्राम बरौआ नूराबाद की कृषि भूमि तथा उ.म. रेलवे का दिल्ली मुंबई रेल मार्ग. <b>दक्षिण</b> —ग्राम बरौआ नूराबाद की कृषि भूमि तथा भारत पेट्रोलियम डिपो.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आलोक रंजन, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

पृ. क्र. एफ. 35-84-2007-दो-सी-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2 दिसम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आलोक रंजन, सचिव.

Bhopal, the 2nd December 2011

No. F--35-84-2007-II-C-2.—In pursuance of entrustment of the executive functions of the Central Government to the Government of Madhya Pradesh by the President under clause (1) of Article 258 of the Constitution of India in relation to any matters specified in sub-clause (c) and (d) of clause (8) of Section 2 of the Indian Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923) by the Government of India's Order No. S.O. 1285, dated the 4th May, 1963, Published in the "Gazette of India", Part-II, Section 3(ii), dated the 11th May 1963, the Government of Madhya Pradesh hereby declares under sub-clause (d) of the clause (8) of Section 2 of the said Act the place specified in the Schedule here to be the prohibited places of the purposes of the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Place	Location	Description of the Boundaries of the Prohibited Place
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Village-Rairu, P.O. Barua, Distt. Gwalior.	Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Village-Rairu, P.O. Barua, Distt. Gwalior.	<b>East</b> —Delhi Mumbai Railway Line of North-Central Railway & Agriculture land of village Barua Noorabad. <b>West</b> —Agriculture land of village Barua Noorabad. <b>North</b> —Delhi Mumbai Railway Line of North-Central Railway & Agriculture land of village Barua Noorabad. <b>South</b> —Delhi Mumbai Railway Line of North-Central Railway & Agriculture land of village Barua Noorabad & Bharat Petroleum Depot.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ALOK RANJAN, Secy.